प्रो० संवर लाल जाट, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालयकी अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 19.03.2015 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त।

नदियों के अंतर्योजन की विशेष समिति की दूसरी बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिनांक 19.03.2015 को 13.30 बजेप्रो० संवर लाल जाट, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालयकी अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-I** में रखी गई है।

प्रो० संवर लाल जाट, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री,जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने विशेष समिति की बैठक में सदस्यों और प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि देश के समग्र विकास के लिए नदियों काअंतर्योजनपरियोजनाएं बहुत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से खाद्य सुरक्षा, बेहतर आजीविका और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि अंतरा-राज्य लिंक प्रस्ताव जो तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य थे और जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के लिंक प्रस्तावों की योजना को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए लिए जा रहे हैं। उन्होंने नदियों का अंतर्योजनकार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों के सहयोग का आग्रह किया, जिससे देश को समृद्धि मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सरकार सभी संबंधित राज्यों की सर्वसम्मति के साथ नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने रा.ज.वि.अ. को विभिन्न लिंक परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी.पी.आर.) की तैयारी के कार्य और नदियों का अंतर्योजन से संबंधित अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग देने के लिए सभी सदस्यों/प्रतिनिधियों से अनुरोध किया।

माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) की प्रारंभिक टिप्पणी के बाद, महानिदेशक,रा.ज.वि.अ. ने अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के लिए कार्यसूची प्रस्तुत की।

मद सं.3.1: नई दिल्ली में 06.01.2015 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि 9.3.2015 के पत्र के माध्यम से परिचालित किए गए नदियों का अंतर्योजन के लिए विशेष समिति की दूसरी बैठक के कुछ कार्यवृत्त पर समिति के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने कार्यवृत्त की पुष्टि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

यथा परिचालित बैठक के कार्यवृत्तकी पुष्टि समिति द्वारा की गई।

मद सं.3.2: पिछली बैठक में किए गए निर्णय पर अनुवर्ती कार्यवाही - उप-समितियों का गठन और उनकी बैठकें।

महानिदेशक,रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि पिछली बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, दिनांक 13 मार्च, 2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने तीन उप-समितियों के गठन को सूचित किया है,अर्थात,(i) अंत-लिंक पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/प्रतिवेदनों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप-समिति; (ii) सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति; और (iii) रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के लिए उप-समिति।

इन उप-समितियां ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के लिए उप-समिति की पहली और दूसरी बैठक 24-25 फरवरी, 2015 एवं 10 मार्च, 2015 को आयोजित की गईं। उप-समितियों की पहली संयुक्त बैठक(i) नदियों के अंतर्योजन पर विभिन्न अध्ययनों /प्रतिवेदनों का व्यापक मूल्यांकन (उप समिति-I) और (ii) सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान हेतु प्रणाली अध्ययन के लिए (उपसमिति-II) दिनांक 26.02.2015 को आयोजित की गई थी। उप-समितियों (I) और (II) की दूसरी बैठक क्रमशः 11.03.2015 और 12.03.2015 को हुई थी।

इन बैठकों के दौरान, व्यापक रूप से इन उप-समितियों के विचारार्थ विषय और रूपरेखाओं पर चर्चा की गई।

प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी, सरकार तमिलनाडु का मानना है कि उप-समितियों को उनके कार्य को पूरा करने के लिए दी गई समयावधि कम थी और इसे विस्तारित किया जा सकता है। मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने उल्लेख किया कि उप-समिति 1 और 2 की समय-सीमा छह महीने थी और उप-समिति-3 के लिए यह दो महीने तय की गई थी। यह देखा गया कि समय-सीमा की समीक्षा बाद के स्तर पर की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो आगे बढ़ाई जाएगी।

मद सं.3.3 : केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I –विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों की स्थिति।

मद सं.3.3.1: पर्यावरण मंजूरी

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीपीसीबी) ने 23 दिसंबर, 2014 को परियोजना के लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की है। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान ग्रामीणों, स्थानीय राजनेताओं, पर्यावरणविद्, एनजीओ आदि द्वारा उठाए गए/प्रस्तुत मौखिक पूछताछ/प्रश्नों और लिखित कथनों पर टिप्पणी/उत्तर,रा.ज.वि.अ. द्वारा एमपीपीसीबी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पर्यावरण स्वीकृति के मामले में आगे की प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किया गया है। रा.ज.वि.अ.प्रारंभिक स्वीकृति के लिए नियमित रूप से परिमित है। कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मद सं.3.3.2 वन्यजीव स्वीकृति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया है कि वन्यजीव विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, द्वारा वन्यजीव निकासी के संबंध में वांछित संशोधित आवेदन रा.ज.वि.अ. द्वारा 20.02.2015 को निदेशक और मुख्य वन संरक्षक, पन्ना बाघ रिजर्व, पन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार के वन्यजीव विभाग से अनुरोध किया गया है कि वे परियोजना के वन्यजीव स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाएं। कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मदसं.3.3.3 वन भूमि में पथांतरण की अनुमति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया कि अगस्त 2014 में केन-बेतवा लिंक परियोजना (चरण-I) के वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति हेतु एक ऑनलाइन आवेदन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। रा.ज.वि.अ.; जल संसाधन विभाग,मध्य प्रदेश और मुख्य वन संरक्षक, भोपाल के अधिकारियों के परामर्श के साथ, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) की स्वीकृति और जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (सीएटी योजना) का अनुमोदन छोड़कर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की सभी ऑनलाइन टिप्पणियों का अनुपालन किया है। इन स्वीकृतियों को प्राप्त करने के प्रस्ताव को पहले ही संबंधित जिलाधीशों और मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर और निदेशक पन्ना को सौंप दिया गया है। कार्यसूची टिप्पण में दिए गए विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने प्रमुख सचिव,जल संसाधन विभाग, म०प्र० सरकार से संबंधित अधिकारियों से उपरोक्त स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उनकी मदद और समर्थन बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश ने सुझाव दिया कि उक्त की स्वीकृति प्राप्त करने /कार्यवाही करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, भोपाल में रा.ज.वि.अ. कार्यालय को सशक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि रा.ज.वि.अ. एक उच्च स्तरीय अर्थात अधीक्षण अभियंता की अगुवाई में सर्किल कार्यालय की भोपाल में स्थापना कर सकता है (जो वर्तमान में एक कार्यपालन अभियंता की अगुवाई में एक संभागीय कार्यालय है) एवं उपयुक्त रूप से प्रशासनिक प्रणाली को संशोधित किया जाए ताकि रा.ज.वि.अ., भोपाल का जांच प्रभाग परियोजना के तत्काल मामलों के संबंध में रा.ज.वि.अ. मुख्यालय में तैनात मुख्य अभियंता को सीधे रिपोर्ट कर सके। उन्होंने परियोजना की प्रारंभिक मंजूरी के लिए जंगल और पर्यावरण संबंधी मुद्दों आदि से निपटने के लिए सलाहकार की नियुक्ति की जरूरी आवश्यकता पर जोर दिया। सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) ने उल्लेख किया कि रा.ज.वि.अ. से इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा।

सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने रा.ज.वि.अ. को परामर्श दिया कि प्रमुख सचिव (जल संसाधन विभाग) मध्य प्रदेश के सुझावों पर विचार कर उचित कार्रवाई करें। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने कहा कि इन सभी पहलुओं को रा.ज.वि.अ. द्वारा देखा जाएगा और कार्य की गति बढ़ाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, सरकार मध्य प्रदेश ने आश्वस्त किया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति के संबंध में मध्य प्रदेश से जुड़े सभी मुद्दों को अप्रैल, 2015 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

मदसं.3.4 : केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II की वर्तमान स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया कि रा.ज.वि.अ. ने केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II के डी.पी.आर. तैयार किए हैं और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार को 17.01.2014 को प्रस्तुत किया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-II के तहत निचले ओर बांध की वन स्वीकृति के लिए आवेदन 02.10.2014 को ऑनलाइन जमा कराया गया है और जलसंग्रहण क्षेत्र उपचार योजना को छोड़कर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सभी ऑनलाइन टिप्पणियों का अनुपालन किया गया है। मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी और अशोक नगर, म०प्र० से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संशोधित सीएटी योजना के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश सरकार,राज्य सरकार के संबंधित विभागों से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा था। उन्होंने केन-बेतवा चरण-II में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पहले से ही मूल्यांकित की गई बीना परिसर परियोजना शामिल करने का अनुरोध किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केन-बेतवा लिंकचरण-I और II में शामिल सभी मुद्दों को जून 2015 तक उ०प्र० और म०प्र० की राज्य सरकारों द्वारा सुलझा लिया जाएगा, और उसके बाद, केन-बेतवा लिंकपरियोजनाचरण-I और II के कार्यान्वयन की कार्यवाही की जाएगी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयके प्रतिनिधि ने संकेत दिया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I और चरण-II के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन के विचारार्थ विषय उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किए गए थे और पर्यावरण प्रभाव आकलन के अध्ययन के विचारार्थ विषयों को तदनुसार अनुमोदित कर दिया गया है।

मद सं.3.5: दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक की वर्तमान स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने समिति को अवगत कराया कि दमनगंगा -पिंजल लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मार्च, 2014 के दौरान रा.ज.वि.अ. द्वारा पूरा कर लिया गया है और अप्रैल, 2014 में महाराष्ट्र और गुजरात सरकार को प्रस्तुत किया गया है। ग्रेटर मुंबई की नगर निगम (एमसीजीएम) ने जनवरी, 2015 के दौरान दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग कोमूल्यांकन के लिएसौंपा था। माननीय केन्द्रीय मंत्री,जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 7 जनवरी 2015 को मुंबई में महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री के साथ इस परियोजना के बारे में आगे की कार्रवाई के लिए तेजी लाने के लिए बैठक की। महानिदेशक,

रा.ज.वि.अ. ने एमसीजीएम के माध्यम से दमनगंगा-पिंजल लिंक के संबंध में विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र के जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव से अनुरोध किया है।

प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने अभिलाषित किया कि जल साझाकरण मुद्दों को प्राथमिकता पर हल किया जाता है। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया कि गुजरात सरकार द्वारा अनुरोधित पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के डी.पी.आर. के बाद जल बंटवारे का मुद्दा उठाया जाएगा। यह सूचित किया गया कि पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रगति पर है और यह मार्च, 2015 तक पूरा हो जाएगा।

मद सं.3.6: महानदी-गोदावरी लिंक के वैकल्पिक अध्ययन

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने समिति को सूचित किया कि रा.ज.वि.अ. द्वारा किए गए जल संतुलन अध्ययन से पता चलता है कि महानदी और गोदावरी बेसिन जल अधिशेष बेसिन हैं। महानदी और गोदावरी के संयुक्त अधिशेष के व्यपवर्तन का प्रस्ताव, दक्षिण में गुंडार नदी तक की अभावग्रस्त बेसिनोंकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।रा.ज.वि.अ. द्वारा 2004 में महानदी-गोदावरी लिंक की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई है।

मणिभद्रा जलाशय कीबड़ी जलमग्नता को देखते हुए, रा.ज.वि.अ. ने दो परिदृश्यों में वैकल्पिक अध्ययन किया है:

(i) दो बैराज; एक महानदी नदी पर मणिभद्रा और बड़मुल में एक एवं तेल उप-बेसिन में दो परियोजनाएं।
(ii) महानदी नदी पर बड़मुल में एक बैराज और तेल उप-बेसिन में पांच परियोजनाएं।

यह सूचित किया गया था कि उपरोक्त दो विकल्पों के लिए प्रारंभिक अध्ययन/विश्लेषण पूरे किए गए थे जिसके पश्चात विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इन वैकल्पिक अध्ययनों के लिए जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार के साथ आगे की कार्रवाई के लिए चर्चा करने का प्रस्ताव है।

ओडिशा सरकार के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि मणिभद्रातक महानदी अधिशेष बेसिन नहीं थी। उन्होंने अनुरोध किया कि परीक्षण के लिए इन नए वैकल्पिक प्रस्तावों का विवरण ओडिशा सरकार को दिया जा सकता है। अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालयने बताया कि इन प्रस्तावों को प्रमुख अभियंता, ओडिशा सरकार के साथ परामर्श में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आगे संकेत दिया कि महानदी-गोदावरी लिंकपरियोजना ओडिशा राज्य सहित देश के अनेकों लाभ के लिए है एवं ओडिशा की सरकार से इन वैकल्पिक प्रस्तावों को मजबूत करने के लिए सहयोगवांछित किया।इन वैकल्पिक प्रस्तावों को और सशक्त बनाने के लिए प्रमुख सचिव , जल संसाधन, सरकार तमिलनाडु ने वांछित किया कि महानदी-गोदावरी-कृष्णा-कावेरी-वैगईलिंकप्रणाली के अन्य पक्षकार राज्यों को भी महानदी-गोदावरी लिंक के वैकल्पिक प्रस्तावों पर चर्चा में शामिल होना चाहिए।

मद सं.3.7: अंतः राज्यीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि अभी तक, रा.ज.वि.अ. को 9 राज्यों से 46 अंतः राज्यीय लिंकों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। रा.ज.वि.अ. द्वारा अभी तक 33 अंतः राज्यीय लिंक के पूर्व संभाव्यताप्रतिवेदन (पीएफआर) पूरे किए गए हैं। कुछ प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं पाए गए हैं। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने आगे बताया कि दो लिंकों के डी.पी.आर. अर्थात् (i) बुरही गंडक-नून-बाया-गंगा लिंक और (ii) बिहार का कोसी-मेची लिंक पूरा हो चुका है और क्रमशःदिसंबर, 2013 और मार्च, 2014 में बिहार सरकार को भेज दिया गया है तथा केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं। अंतः राज्यीय लिंक अर्थात्; तमिलनाडु का पोन्नैयार-पलारलिंक; महाराष्ट्र का वैनगंगा-नलगंगा लिंक; झारखंड का बरकर-दामोदर-सुबर्णरेखालिंक; और ओडिशा का वमसाधारा रुशिकुल्या लिंक, संबंधित राज्यों के अनुरोध पर रा.ज.वि.अ. द्वारा डी.पी.आर. की तैयारी के लिए उठाए गए हैं।

झारखंड सरकार के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि रा.ज.वि.अ. ने झारखंड राज्य के तीन अंतः राज्यीय लिंकोंका पीएफआर पूरा कर लिया है और बरकर-दामोदर-सुबर्णरेखा लिंकका डी.पी.आर. प्रगति पर है। उन्होंने वांछित किया कि ओडिशा और झारखंड सरकार के बीच मतैक्यतास्थापित करने हेतु रा.ज.वि.अ. को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के अधीन आम मतैक्यता समूह की बैठक का तुरंत आयोजन करना चाहिए ताकि रा.ज.वि.अ. द्वारा दो लिंकों के डी.पी.आर. तैयार किए जा सकें।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालयने सुझाव दिया कि अप्रैल, 2015 में सहमति समूह (उप-समूह-IV) की बैठक बुलाई जा सकती है।

सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार ने कहा कि कम लाभ-लागत (बीसी) अनुपात के कारण राजस्थान के दो अंतः राज्यीय लिंक प्रस्ताव रा.ज.वि.अ. द्वारा संभव नहीं पाए गए थे। उन्होंने रा.ज.वि.अ. से लाभ-लागत (बीसी) अनुपात में कार्य करते हुए परियोजना के अन्य अप्रत्यक्ष लाभों पर विचार करने का अनुरोध किया। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया है कि परियोजनाओं की आर्थिक संभाव्यता का आकलन जल संसाधन मंत्रालय की मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है।

उन्होंने दो अंत:राज्यीय परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों हेतु निधि के लिए अनुरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि शारदा-यमुना और यमुना-राजस्थान लिंक की संभाव्यता रिपोर्ट का विवरण राजस्थान सरकार के साथ साझा किया जा सकता है। गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने भी उसी की प्रतिलिपि वांछित की। अतिरिक्त सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने उल्लेख किया कि इन लिंकोंकी संभाव्यता रिपोर्ट मसौदा चरण में थी। नेपाल के

जलग्रहण से जल की उपलब्धता के विवरण को सम्मिलित करने के बाद संभाव्यता रिपोर्ट की पुष्टि हो जाने के पश्चात, ये प्रतिवेदन संबंधित राज्य सरकारों को दिए जाएंगे।

गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने डी.पी.आर. की तैयारी के लिए गुजरात की दमनगंगा-साबरमती-चोरवाड़ अंतः राज्यीय लिंक को लेने का अनुरोध किया।

आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के लिए अपनी सरकार का समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पोलावरम-विजयवाड़ा लिंक परियोजनाओं को लागू करने के लिए पहले ही लिया गया है और गोदावरी नदी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय घटकों की अन्य लिंक परियोजनाओं को लिए जाने का अनुरोध किया गया है।

बिहार सरकार के प्रतिनिधि ने इंगित किया कि रा.ज.वि.अ. द्वारा प्रस्तावित 9 अंतः राज्यीय लिंक प्रस्तावों में से 6 प्रस्तावों का पीएफआर पूरा कर लिया गया है और 3 लिंक प्रस्ताव रा.ज.वि.अ. द्वारा संभव नहीं पाए गए हैं। उन्होंने रा.ज.वि.अ. और बिहार सरकार के अधिकारियों की संयुक्त स्थल भ्रमण का उल्लेख किया और रा .ज.वि.अ. से आग्रह किया कि इन तीन लिंक प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया जाए जो आगे की अध्ययन हेतु रा.ज.वि.अ. द्वारा संभव नहीं पाए गए थे। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया कि बिहार सरकार इस संबंध में अपने संशोधित प्रस्तावों को प्रस्तुत कर सकती है जिस पररा.ज.वि.अ. द्वारा विचार किया जाएगा।

अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने बताया कि रा.ज.वि.अ. के पास सीमित संसाधन/जनशक्ति है एवं राज्य सरकारों से उनके राज्यों के अंतः राज्यीय लिंक प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के लिए अनुरोध किया।

मद सं.3.8 : अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षणमंत्रालय ने अपनी समापन टिप्पणी में उल्लेख किया कि नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देश के नागरिक नदियों के अंतर्योजन की परियोजनाओं के आने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय राज्य मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि गैर-व्यवहार्य योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और योजना के आधार पर लाभ एवं लाभ पर वास्तविक संभाव्यता को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रक्रिया को फिर से तैयार किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने समयबद्ध तरीके से नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम को लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि लिंक परियोजनाएं, जहां संबंधित राज्य समझौते में थे, तुरंत कार्यान्वयन के लिए शुरू की जाएंगी। उन्होंने नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम में सहभागी राज्यों से उनके सक्रिय सहयोग और सहकारिता प्रदान करने के की व्यक्तिगत अपील की।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन हुआ।

*****

अनुलग्नक-I

नदियों का अंतर्योजन हेतु विशेष समिति की दिनांक 19.03.2015 को आयोजित तीसरी बैठक के सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची

1.	श्री संवर लाल जाट, माननीय राज्य मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री रामा चंद्रा तेजावत, विशेष प्रतिनिधि, कैबिनेट स्तरीय मंत्री, तेलंगाना सरकार	माननीय सिंचाई मंत्री, तेलंगाना का प्रतिनिधित्व
3.	श्री अनुज कुमार बिश्नोई, सचिव, भारत सरकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री ए.बी. पंड्या अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	
5.	श्री आदित्य नाथ दास, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	सदस्य
6.	श्री आर.एस. जुलानिया, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
7.	श्रीमती मालिनी वी. शंकर, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	सदस्य
8.	श्री अजिताभ शर्मा, सचिव, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर	सदस्य
9.	श्री एन.एस. पलानियप्पन, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, तमिलनाडुसरकार, चेन्नई	सदस्य
10.	श्रीमती टिंकू बिस्वाल, सचिव, जल संसाधन विभाग, केरलसरकार, तिरूवंतपुरम	सदस्य
11.	श्री आरएस प्रसाद, से.नि. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, विशेषज्ञ, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
12.	श्री श्रीराम वैदिरे,	सदस्य

	सामाजिक कार्यकर्ता, सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	
13.	श्री के.के. प्यासी, सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
14.	श्री एम. बांगरा स्वामी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन, कर्नाटक सरकार, बैंगलुरु	प्रमुख सचिव, जल संसाधन, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व
15.	श्री विपिन कुमार, भाप्रसे आवास आयुक्त, बिहार	प्रमुख सचिव, बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व
16.	सुश्री कल्पना मित्तल बरुआ, प्रमुख आवास आयुक्त, पंजाब सरकार	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व
17.	श्री एच.आर. कुतारे, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग,छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व
18.	श्री डी.के. सिंह, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार, रांची	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व
19.	श्री राजीव वर्मा, मुख्य अभियंता, हरियाणा सिंचाईं एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व
20.	श्री एम.पी. रावल, प्रमुख अभियंता (क्यू.सी.) एवं अपर सचिव, नर्मदा, जल संसाधन, जल आपूर्ति एवं कल्पसार विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर	प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व
21.	श्री विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व
22.	श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.	सदस्य-सचिव

विशेष आमंत्रित

1.	श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय,नई दिल्ली
2.	प्रो० पी.बी.एस. शर्मा, से.नि. प्रोफेसर, सीईडी, आईआईटी, दिल्ली एवं

अध्यक्ष, उप-समिति-II, विशेष समिति, नदियों का अंतर्योजन

3. श्री एम. गोपालकृष्णन,
पूर्व महासचिव, आईसीआईडी एवं
अध्यक्ष, उप-समिति-III, विशेष समिति, नदियों का अंतर्योजन

4. श्री ए.डी. मोहिले
पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग एवं
समूह अध्यक्ष, अंतरा-राज्य लिंक

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधिकारी

1. डॉ० अमरजीत सिंह,
अपर सचिव, भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

2. श्री बी. राजेंदर,
संयुक्त सचिव (पीपी),
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

3. श्री प्रदीप कुमार,
आयुक्त (एसपी)
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

4. श्री एस.के. गंगवार,
वरि. संयुक्त आयुक्त (बीएम),
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

5. श्री असित चतुर्वेदी,
उपायुक्त (बीएम),
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली

6. श्री बी.के. पांडा,
मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएसडी

राज्य सरकारों के अधिकारी

1. श्री आर. सुब्रमणियन,
अध्यक्ष, सीटीसी सह आईएसडब्ल्यूडब्ल्यू,
जल संसाधन विभाग,
तमिलनाडु सरकार, चेन्नई

2. श्री इंदु भूषण कुमार,
प्रमुख अभियंता,
योजना एवं निगरानी, जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार, पटना

3. श्री टी.डी. साहू,
प्रमुख अतभियंता, जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर

4. श्री टी. हनुमंता राव
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

5. श्री आर.जी. धुंगार,
कार्यपालन अभियंता,
दमनगंगा परियोजना प्रभाग,
गुजरात सरकार, वलसाड

6. श्री योगेश मित्तल,
कार्यपालन अभियंता (एन.),
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

रा.ज.वि.अ.के अधिकारी

1. श्री आर.के. जैन,
   मुख्य अभियंता (मु०),
   नई दिल्ली

2. श्री एम.के. श्रीनिवास,
   मुख्य अभियंता (दक्षिण),
   हैदराबाद

3. श्री एच.एन. दीक्षित,
   मुख्य अभियंता (उत्तर),
   लखनऊ

4. श्री एन.सी. जैन,
   निदेशक (टेक.),
   नई दिल्ली

5. श्री के.पी. गुप्ता,
   अधीक्षण अभियंता,
   नई दिल्ली

6. श्री एम.पी. गुप्ता,
   निदेशक (वित्त),
   नई दिल्ली